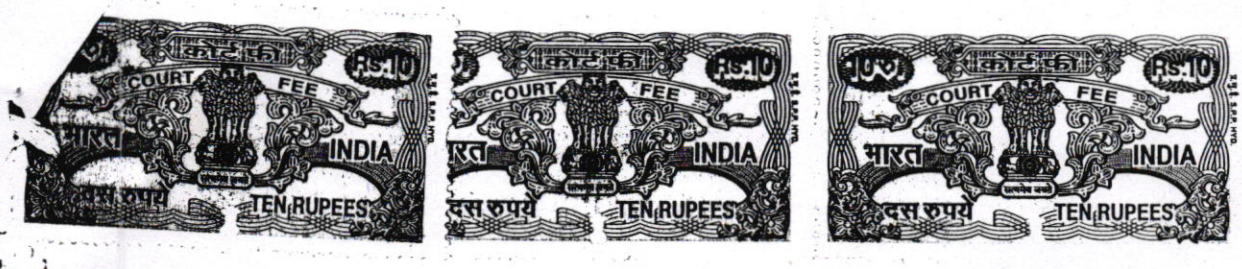

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर (म०प०)

निगरानी 3423/2018/सिवनी/भू.रा.

कुन्दन लाल आयु ४८ वर्ष पिता दुर्गे पन्द्रे जाति गोंड
निवासी महामाया वार्ड, सिवनी तह० व जिला सिवनी .... आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी (म०प्र०) .... अनावेदक

विषय :— म०प्र० भू०रा०सं० १९५९ की धारा ५० के अन्तर्गत राजस्व आर०सी०एम० प्र०क्र० १५९ अ—२१ वर्ष २०१६—१७ ग्राम पलारी में कलेक्टर सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक २८—०४—२०१८ के विरूद्ध पुनरीक्षण ।

मान्यवर महोदय,

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी माननीय न्यायालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष म०प्र० भू०रा०सं० १९५९ की धारा १६५ की उपधारा ६(दो) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक २७—९—२०१७ के आधार पर पंजीबद्ध प्र०क्र० ०१५९/अ—२१/२०१६—१७ ग्राम पलारी में कलेक्टर महोदय, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक २८—४—२०१८ से व्यथित होकर म०प्र० भू०रा०सं० १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत सविनय यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के तथ्य

१— यह कि, आदिवासी कृषकों के हितार्थ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में म०प्र० राज्य के सिवनी जिले के विकास खण्ड कुरई, लखनादौन, एवं धनौरा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है एवं घोषित उक्त अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासी कृषकों की कृषि भूमियों को गैर आदिवासी क्रेता के पक्ष में अन्तरण करने में पूर्णतः रोक लगाई गई है । मध्यप्रदेश राज्य के सिवनी जिले में अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र विकासखण्ड बरघाट, केवलारी एवं सिवनी में आदिवासी कृषकों के हितार्थ उनकी पारिवारिक आकस्मिक विपत्ति कृषि उन्नति की पूर्ति हेतु आदिवासी कृषकों की भूमि गैर आदिवासी क्रेता को अन्तरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित कलेक्टर को संहिता की धारा १६५ की उपधारा ६(दो) में विधिवत अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

२— आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता जातिगत आदिवासी है और कृषि कार्य कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3423/2018/सिवनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/अ-21/16-17 में पारित आदेश दिनांक 28-4-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पलारी ह0नं0 105 रा0नि0मं0 सिवनी भाग-1, ख0नं0 240/5, 240/6 रकबा 0.400 एवं 0.19 हैक्टर कुल रकबा 0.59 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं उक्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन से सहमति जताते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश दिनांक 28-4-18 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता हैं कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा वर्ष 2014 में भूमि क्रय की है और उसके पास 8 एकड़ जमीन है आवेदक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible]वकों आदि के हस्ताक्षर
	कर सकता है । उन्होंने विक्रय को संदेहास्पद मानते हुए एवं आवेदक द्वारा बताए गए कारण को समाधानकारक नहीं मानते हुए आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायसंगत नहीं है क्योंकि आवेदित भूमि शासकीय नहीं है बल्कि आवेदक ने क्रय की है । आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अपने पुत्र-पुत्रियों को हायर एजूकेशन दिलाना चाहता है एवं शेष बची भूमि को सिंचित बनाना चाहता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कारणों को समाधानकारक नहीं मानने में त्रुटि की है । प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि है । भूमि क्रय करने के बाद उसे विक्रय नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । आवेदक के अनुसार उसके पास जीवन-यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष बच रही है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं ग्राम पलारी ह0नं0 105 रा0नि0मं0 सिवनी भाग-1, ख0नं0 240/5, 240/6 रकबा 0.400 एवं 0.19 हैक्टर कुल रकबा 0.59	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3423/2018/सिवनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	